प्रा०पत्र प्र.सं. 420/2022 Online No. 2022/583
रामा व अन्य / जोगी लाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 29/3/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
29/3/23	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को बार-बार आवाज लगाई गई इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा 111-128 LRAct का स्वीकार किया जाकर डिक्री निर्णय पृथक से लिखा गया जो आज दिनांक खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 420/2022

दायर दिनांक 01.11.2022

निर्णय दिनांक 29.03.2023

उनवान

1. श्री रामा पिता केला माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री देबीलाल पिता दीपा माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री सुरेश पिता नन्दा माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री भैरू पिता मगना माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री मोती पिता बरदा माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री मोहन पिता छोगा माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति सायरी पुत्री मागू माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
8. श्री बाबू पिता देवीलाल माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अम्बालाल पिता शंकरलाल माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रकाश पिता शंकरलाल माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री भैरू पिता गणेश माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री मोती पिता बरदा माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति रतनदेवी पत्नि शंकरलाल माली निवासी पुर(मालीखेडा) तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–– विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मांगीलाल सैन
एक तरफा विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: <u>निर्णय</u> ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू00अ0नि0क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 2087 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 173, 174, 175 कुल किता 03 कुल रकबा 5.6271 हैक्टेयर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 29.03.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू00अ0नि0क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 2087 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 173, 174, 175 कुल किता 03 कुल रकबा 5.6271 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका वं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा